97

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 575-तीन/2008 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 22-1-2008 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 146/2006-07 अपील

श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि उमेशप्रसाद तिवारी
ग्राम मलहदू तहसील पाली जिला उमरिया ----आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर उमरिया ----अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री अजय चतुर्वेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 29-05-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 146/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-1-2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ ग्राम मलहदू स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 327/1 रकबा 0.202 है. पर आवेदक ने अतिक्रमण किया। अतिक्रमण स्वरूप आवेदक के विरूद्ध तहसीलदार पाली के यहॉ प्रकरण क्रमांक 19 अ 68/05-06 पॅजीबद्ध हुआ तथा आदेश दिनांक 27-3-2006 से रू. 100/- अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये गये। इस आदेश का पालन न करने पर तहसीलदार पाली ने अनुविभागीय अधिकारी पाली को संहिता की धारा 248 के अंतर्गत सिविल जेल

की कार्यवाही के प्रस्ताव प्रस्तुत किये। अनुविभागीय अधिकारी, पाली ने सुनवाई हेतु प्रारूप एक नियम 9 के अंतर्गत आवेदक को सूचना पत्र जारी किया, जिस पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि सूचना पत्र के संलग्न दस्तावेज नहीं दिये गये हैं। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 8-11-2006 पारित किया तथा आवेदक व्दारा प्रकरण के इस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के आधार पर आपत्ति निरस्त कर दी एंव उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर देकर पेशी नियत कर दी। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 146/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-1-2008 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभच पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निर्विवाद है कि ग्राम मलहदू स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 327/1 रकबा 0.202 है. खसरे में म0प्र0शासन जंगल भूमि नोईयत के रूप में दर्ज है। आवेदक इस भूमि पर अतिक्रमण किये है तथा अतिक्रमण प्रमाणित पाये जाने पर तहसीलदार पाली ने प्रकरण क्रमांक 19 अ 68/05-06 में पारित आदेश दिनांक 27-3-2006 से आवेदक पर रू. 100/- अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये हैं। जब तहसील न्यायालय में आवेदक को सुनवाई का एंव बचाव प्रस्तुत करने का समुचित प्राप्त हो चुका है तथा आवेदक व्दारा तहसील कार्यालय की प्रतिलिपि शाखा से अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्राप्त कर ली गई है, अनुविभागीय अधिकारी के स्तर से समस्त अभिलेख की प्रतियॉ प्रदाय करने की मांग करना तथा ऐसी मांग न माने पर अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 8-11-2006 के विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष दिनांक 10-11-06 को अपील करके प्रकरण 22-1-2008 तक निराकृत न होने देने में एंव अपर आयुक्त से प्रकरण निर्णीत होने के वाद 22-5-2008 से आज की स्थिति तक निगरानी में प्रकरण लम्बित रखने में आवेदक कामयाव रही है

तथा ग्राम मलहदू स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 327/1 रकबा 0.202 है. खसरे में म0प्र0शासन जंगल भूमि पर निरन्तर कब्जा बनाये रखने में कायम रही है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 146/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-1-2008 उचित होने से यथावत रखा जाता है। प्रकरण वर्ष 2006 से अनुविभागीय अधिकारी पाली के समक्ष निराकरण हेतु लम्बित है। फलस्वरूप म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 8 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुविभागीय अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते हैं वह पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का अंतिम निराकरण 90 दिवस के भीतर करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर